दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि 7 जुलाई 1993 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में बुधवार, तिथि 7 जुलाई 1993 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 7 जुलाई, 1993 ई०

युगल किशोर सिंह
सचिव
बिहार विधान-सभा

श्री जगदानन्द सिंह : (1) मंत्री कोषांग के गै० स०-44 दिनांक : 3-1-92 द्वारा काशी श्रोत सिंचाई योजना के निर्माण के सम्बन्ध में अभियंता प्रमुख को लिखा गया था।

(2) अस्वीकारात्मक है। काशी श्रोत परियोजना से बरबाडीह -सोननगर रेलवे लाईन, काशी श्रोत नदी एवं झूरी नाला के बीच का क्षेत्र 2992 एकड़ है। इस क्षेत्र से पहाड़ी। टाड जमीन को हटा देने पर 2393 एकड़ जमीन बचती है जिसमें सिंचाई योग्य भूमि को 70 प्रतिशत मानते हुए सिंचाई का रकवा लगभग 974 एकड़ होता है। सिंचाई योग्य भूमि का 70 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र होगा जो कुल रकवा का लगभग 1192 एकड़ होता हैं।

(3) अंचलाधिकारी, हुसैनाबाद से इस प्रकार का प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अंचलाधिकारी, हुसैनाबाद इस प्रकार का आकलन करने के लिए न ते सक्षम पदाधिकारी है और न ही उनके पास ऐसा आकलन करने के लिए किसी प्रकार की तकनीकी सहायता अथवा परामर्श उपलब्ध है।

(4) अंशतः स्वीकारात्मक हैं उत्तरी कोयल मुख्य नहर, वरवाडीह सोन नगर रेलवे लाईन के पश्चिम होकर गुजरती हैं रेलवे लाईन एवं उत्तर कोयल नहर के बीच का क्षेत्र 3000 एकड़ है जिसमें से 2770 एकड़ जमीनों की सिंचाई उत्तर कोयल नहर के चार पम्प आउटलेटों एवं दो अन्य आउटलेटो से होगी। शेष 230 एकड़ जमीन टांड है।

(5) इस योजना का अनुमानित लागत लगभग 966 लाख रु० है जिसके आधार पर प्रति एकड़ लागत लगभग 76,400 रुपये की आती है। इस प्रकार लाभ-लागत अनुपात 0-50 आता है जिसके कारण यह योजना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं है। अतः इस योजना का कार्यान्वयन कराने का कोई इरादा नहीं है।

नहर की सफाई

133. श्री राम जतन सिन्हा : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत लालगंज प्रखंड के तौलहपुर बसंता, पोझियां नहर 1988 में मिट्टी से भर गयी है?

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नहर के भर जाने के कारण दस हजार एकड़ जमीन में पटवन का कार्य बाधित है?

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सही है तो क्या सरकार उक्त नहर की सफाई कराना चाहती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?

मंत्री, जल संसाधन विभाग :

(1) प्रश्न में उल्लिखित तौलहपुर, बसंता, पाझियां नहर के नाम पर कोई नहर गंडक परियोजना की नहर प्रणलियों के अन्तर्गत नहीं है।

परन्तु वैशाली जिलान्तर्गत लालगंज प्रखंड में एक ड्रेनेज चैनेल है जिसपर तिरहुत तटबंध के 42वें मील पर बाढ़ निरोधक स्लुईस निर्मित है। सुखाड़ की स्थिति में जब गंडक नदी का पानी ऊपर रहता है तो इसके फाटक को खोलकर इस ड्रेनेज चैनेल द्वारा बसंता, पोझियां आदि गावों में सिंचाई हेतु पानी लिया जाता है। यह चैनेल कालान्तर में गंडक नदी का पानी अन्दर आने से धीरे-धीरे सिल्टेड हो गया है।

(2) जैसा कि खंड-1 में कहा गया है प्रश्नगत चैनेल नहीं हैं बल्कि एक ड्रनेज चैनेल है। अतः इसके भर जाने से पटवन बाधित होता है यह कहना सही नहीं है। यदा-कदा ही फाटक खोलकर इस चैनल से सिंचाई हेतु पानी किसानों द्वारा लिया जाता है और थोड़ी-सी सिंचाई जहाँ-जहाँ पानी पहुँच जाता है वहाँ-वहाँ होती है।

(3) उक्त ड्रनेज चैनेल को सफाई कराने से भी सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चत नहीं की जा सकती है क्योंकि यह गंडक नदी के जल स्तर और सुखाड़ की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि गंडक नदी का जल स्तर नीचे है तो इसमें पानी आने की संभावना नहीं रहेगी। सुनिश्चित सिंचाई नहीं होने के कारण इसे ड्रेनेज चैनेल की सफाई कराने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।